



217


मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल


क्रमांक 331/498/2007

भोपाल, दिनांक 9/02/2007

आदेश

बड़े बच्चों विशेष रूप से बालिकाओं को शाला समय में छोटे भाई एवं बहिनों की देखभाल के कार्य से मुक्त करने एवं 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि स्थानीय स्तर पर आंगनवाडी के समय का निर्धारण करते वक्त शाला समय का भी ध्यान रखा जायेगा। आंगनवाडी केन्द्रों का समय स्थानीय स्तर पर शाला के समय के साथ ही रखा जायेगा। समय निर्धारण जिला स्तर से किया जायेगा तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(प्रशान्त मेहता)
प्रमुख सचिव
महिला एवं बाल विकास



(इन्द्रनील शंकर दाणी)
प्रमुख सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग


पृष्ठांकन क्र 332/498/2007

भोपाल, दिनांक 9/2/2007

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
4. समस्त कलेक्टरों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु, कृपया उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराये।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
6. समस्त जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी की ओर सूचनार्थ। आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
7. समस्त जिला परियोजना समन्वयक।


(प्रशान्त मेहता)
प्रमुख सचिव
महिला एवं बाल विकास


(इन्द्रनील शंकर दाणी)
प्रमुख सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग